रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2008/कार्तिक 5, 1930
No. 174] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2008/KARTIKA 5, 1930

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2008

सं. एल-7/142/157/2008-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **टैरिफ के अवधारण के आवेदन हेतु फीस.**—(1) उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट के टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ उस प्रत्येक वर्ष, जिसके लिए टैरिफ अवधारित किया जाना है, के लिए ऐसे उत्पादन केन्द्र या यूनिट की संस्थापित क्षमता के तत्स्थानी 2000 रुपए/मेगावाट/प्रति वर्ष की दर पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी :

परन्तु यह और कि उत्पादन कम्पनी पहले वर्ष के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की संस्थापित क्षमता के तत्स्थानी 2000 रुपए/मेगावाट/प्रति वर्ष की दर पर फीस का संदाय कर सकेगी और अतिशेष फीस का संदाय 2000 रुपए/मेगावाट/प्रति वर्ष की दर पर वार्षिक किस्तों में किया जाएगा ।

(2) अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्वों के टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ आवेदन में प्रतिवर्ष दावा किए गए कुल वार्षिक पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी :

परन्तु यह और कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय पहले वर्ष के लिए दावा किए गए वार्षिक पारेषण प्रभारों का 0.05% की दर पर फीस का संदाय कर सकेगा तथा अतिशेष फीस का संदाय प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक दावा किए गए पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर पर वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यथापूर्वोक्त संदत्त फीस का अंतिम रूप से समायोजन प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा अवधारित वास्तविक टैरिफ के साथ किया जाएगा ।

3. टैरिफ के अवधारण से भिन्न प्रयोजनों के लिए आवेदन की फीस

(1) केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित टैरिफ को स्वीकार करने हेतु आवेदन के साथ 5 लाख रुपए की फीस संलग्न की जाएगी ।

(2) विद्युत के अन्तर-राज्यिक पारेषण या अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए ।

(3) ऐसा आवेदन, जो टैरिफ के अवधारण या उसे अंगीकार करने के लिए आवेदन या विद्युत में अन्तर-राज्यिक पारेषण या अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण या उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं है किन्तु इसमें अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए आवेदन सम्मिलित है, के साथ चालीस हजार रुपए (40, 000 रुपए) की फीस संलग्न की जाएगी तथा आयोग द्वारा ऐसे आवेदन ग्रहण करने पर आवेदन को ग्रहण करने के आदेश की संसूचना के दो सप्ताह के भीतर एक लाख साठ हजार रुपए (1,60,00 रुपए) की और फीस संदत्त की जाएगी ।

(4) खंड (1) से खंड (3) में विनिर्दिष्ट के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित रूप से विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी, अर्थात् :—

(क) अन्तर्वर्ती आवेदन	40,000/ रुपए
(ख) न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन	500/ रुपए प्रतिदिन किन्तु तीन घंटे से अनधिक
(ग) न्यायिक अभिलेखों के भाग रूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन	10/ रुपए प्रति पृष्ठ

(5) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किए गए आवेदन पर कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

4. अनुज्ञप्ति फीस

(1) अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें इस प्रयोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें परन्तुक में निर्दिष्ट पारेषण अनुज्ञप्ति समझा जाने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है, उस वर्ष के लिए लागू वार्षिक पारेषण प्रभारों का 0.05% प्रति वर्ष की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा :

परन्तु यह और कि वर्ष 2008-09 के लिए अनुज्ञप्ति फीस का संदाय इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा ।

(2) ऐसा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसे विद्युत के अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख से तथा अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्वों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पूर्ववर्ती तारीख तक प्रतिवर्ष दो लाख रुपए (2,00,000 रुपए) की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा ।

(3) ऐसा विद्युत व्यापारी, जिसे विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हैं, नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संदाय करेगा: —

क्रम सं0	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	फीस/प्रति वर्ष (रुपए लाख में)
1.	प्रवर्ग 1	30
2.	प्रवर्ग 2	12.50
3.	प्रवर्ग 3	2.50

टिप्पण :केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2008 के प्रवर्ग 'ध', 'ङ' तथा 'च' के तत्स्थानी प्रवर्ग 1, प्रवर्ग 'ख' तथा 'ग' के तत्स्थानी प्रवर्ग 2 तथा प्रवर्ग के तत्स्थानी प्रवर्ग 3 ।

(4) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख के तीस दिन के भीतर तथा उसके पश्चात् वार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक किया जाएगा ।

5. वर्ष के भाग के लिए संदेय फीस

वर्ष के भाग के लिए, फीस वर्ष के दौरान दिनों की संख्या के आनुपातिक संदेय होगी तथा उसे निकटतम सौ रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।

6. विलंब संदाय अधिभार

किसी अन्य कार्रवाई, जो इन विनियमों के अननुपालन के लिए समुचित समझी जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुनः असंदत्त फीस की अवधि के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग हेतु बकाया रकम पर एक प्रतिशत (1%) की दर पर विलंब संदाय अधिभार संदत्त किया जाएगा ।

7. संदाय की पद्धति

सभी फीस, जिसमें विलंब संदाय अधिभार भी है, सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट /संदाय आदेश के माध्यम से संदेय होगी ।

8. फीस का लेखांकन

आवेदन के साथ फीस की प्रविष्टि इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 में दिए गए फारमेट में इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाएगी तथा प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस की प्रविष्टि विद्युत में पारेषण अनुज्ञप्ति तथा अन्तर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए पृथक् रूप से प्ररूप 2 में दिए गए फारमेट में इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे जाने वाली रजिस्टर में की जाएगी ।

9. शिथिल करने की शक्ति

आयोग समुचित मामलों में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इस विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

10. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2004 इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित समझे जाएंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई बात या किए जाने के लिए आशयित कोई बात इन विनियमों के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए आशयित समझी जाएगी ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन/III/4/असाधारण/150/08]

4139 GI/08-2

प्ररूप 1

क्रम सं0	याचिका/ आवेदन संख्या	फीस जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	संदेय अतिशेष फीस, यदि कोई हो	संदेय अधिभार, यदि कोई हो	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतिशेष फीस का संदाय

अतिशेष फीस जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	क्या अतिशेष फीस के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
11	12	13	14	15	16	17

अधिभार का संदाय

अधिभार जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	क्या अधिभार फीस के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया	टिप्पणियां
18	19	20	21	22	23	24	25

प्ररूप 2

क्रम सं0	फीस भेजने वाले पक्षकार का नाम		रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	संदेय अतिशेष फीस, यदि कोई हो	संदेय अधिभार, यदि कोई हो	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतिशेष फीस का संदाय						
अतिशेष फीस जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	क्या अतिशेष फीस के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
11	12	13	14	15	16	17

अधिभार का संदाय							
अधिभार जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	अधिभार के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया	टिप्पणियां
18	19	20	21	22	23	24	25